



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102020-222589
CG-DL-E-20102020-222589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]
No. 530]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 20, 2020/आश्विन 28, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2020/ASVINA 28, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 652(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप-धारा (3) के अधीन यथापेक्षित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2019 नियमों के प्रारूप को, ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396 (अ), तारीख 31 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ 31 मई, 2019 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), नियम 21 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“21. वरीयता दस्तावेज भरना – (1) जहाँ आवेदक भारत को नामित करते हुए किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के संबंध में पेटेंट सहयोग समझौते के अंतर्गत विनियम के नियम 17.1 के पैरा (क), (ख) अथवा (ख-बिस) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, और समझौते के अंतर्गत विनियम के उक्त नियम 17.1 के पैरा (घ) के अध्यक्षीन, आवेदक नियम 20 के उप-नियम (4) में संदर्भित समय-सीमा के समाप्त होने से पूर्व उस नियम में संदर्भित वरीयता दस्तावेज पेटेंट कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(2) जहाँ पेटेंट सहयोग समझौते के अंतर्गत विनियम के नियम 51 बिस.1 के पैरा (ड) के उप-पैरा (i) अथवा उप-पैरा (ii) लागू होंगे, आवेदक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद, नियम 20 के उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(3) जहाँ आवेदक उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, पेटेंट कार्यालय, ऐसे आमंत्रण की तारीख से तीन माह के भीतर, वरीयता दस्तावेज अथवा उसका अनुवाद, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को आमंत्रित करेगा, और यदि आवेदक ऐसा करने में असफल रहता है, तो अधिनियम के उद्देश्यों हेतु वरीयता के लिए आवेदक के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।”

3. उक्त नियमों में, नियम 131 में, उप-नियम (2) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“(2) उप-नियम (1) में संदर्भित विवरणों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु एक बार प्रस्तुत किया जाएगा, पेटेंट प्रदान किए गए वित्तीय वर्ष के तत्काल बाद वाले वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए ऐसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छः माह से भीतर प्रस्तुत करना होगा।”

4. उक्त नियमों में, दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र 27 को निम्नलिखित प्रपत्र से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“प्रपत्र 27

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और पेटेंट नियम, 2003

कोई शुल्क नहीं

भारत में वाणिज्यिक स्तर पर पेटेंट किए गए आविष्कार (रों) के कार्यकरण से संबंधित विवरण

[धारा 146(2) और नियम 131 (1) देखें]

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता और पेटेंट संख्या भरें	मैं/हम पेटेंटधारक/लाइसेंसधारक.....पेटेंट सं. के सन्दर्भ में विवरण प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं, (स्पष्टीकरण: कई पेटेंटों के लिए एक प्रपत्र भरा जा सकता है, परंतु वे सभी पेटेंट से संबंधित हों, जिसमें किसी विशेष पेटेंट किए गए आविष्कार से अनुमानित राजस्व/उपार्जित मूल्य को संबंधित पेटेंटों से अनुमानित राजस्व/उपार्जित मूल्य को अलग न किया जा सकता हो, और ऐसे सभी पेटेंट एक ही पेटेंटधारक (कों) को प्रदान किए गए हों।
2. वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें जिससे विवरण	,,,,,, वित्तीय वर्ष से संबंधित

संबंधित है			
3. काम किया/ नहीं किया। कृपया बताएं कि प्रत्येक पेटेंट, जिसके लिए यह प्रपत्र दायर किया जा रहा है, ने काम किया या नहीं किया।	पेटेंट संख्या	कार्य किया [यदि लागू हो तो (✓) का निशान लगाएं]	कार्य नहीं किया [यदि लागू हो तो (✓) का निशान लगाएं]

4. यदि काम किया।	(क) पेटेंट संख्या से विवरण प्रस्तुत करने वाले पेटेंटधारक (धारकों)/ लाइसेंसधारक को भारत में अनुमानित राजस्व/ उपार्जित मूल्य, जहां निम्नलिखित के माध्यम कार्य हो रहा है:	
	(1) भारत में विनिर्मित..... (भारतीय रुपए में)	(2) भारत में आयातित..... (भारतीय रुपए में)
	(ख) उपर्युक्त (क) के संबंध में संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 500 शब्द)	
5. यदि काम नहीं किया।	पेटेंटीकृत आविष्कार (आविष्कारों) के काम न करने के कारण तथा आविष्कार (आविष्कारों) को कार्यरत करने के लिए उठाए जा रहे कदम (अधिकतम 500 शब्द)	
	ऊपर दिए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। आज की तारीखमाह 20.....	
6. पेटेंटधारक(धारकों)/ लाइसेंसधारक/ विवरण प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए	हस्ताक्षर सेवा में पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,	

टिप्पणी: प्रत्येक पेटेंटधारक और प्रत्येक लाइसेंसधारक (अनन्य अथवा अन्यथा) के लिए यह प्ररूप फाइल करना अपेक्षित है, जहां दो या अधिक व्यक्तियों को एक पेटेंट प्रदान किया गया है वहां ऐसे पेटेंटधारक संयुक्त रूप से यह प्ररूप फाइल कर सकते हैं; तथापि, प्रत्येक लाइसेंसधारक को यह प्ररूप अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा।”

[फा.सं. 24027/5/2020-आईपीआर-III]

रविन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : उक्त नियम 2 मई, 2003 के का.आ. 493 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 663(अ) तारीख 17 सितंबर, 2019 के द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

G.S.R. 652(E).—Whereas the draft rules, namely the Patents (Amendment) Rules, 2019 were published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 396 (E) dated the 31st May, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st of May, 2019;

And, whereas, the objections and the suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 21, the following rule shall be substituted, namely:-

“21. Filing of priority document - (1) Where the applicant in respect of an international application designating India has not complied with the requirements of paragraphs (a), (b) or (b-bis) of rule 17.1 of the regulations under the Patent Cooperation Treaty, and subject to paragraph (d) of the said rule 17.1 of regulations under the Treaty, the applicant shall file the priority document referred to in that rule before the expiration of the time limit referred to in sub-rule (4) of rule 20 in the Patent Office.

(2) Where sub-paragraph (i) or sub-paragraph (ii) of paragraph (e) of rule 51bis.1 of the regulations under the Patent Cooperation Treaty is applicable, an English translation thereof duly verified by the applicant or the person duly authorised by him shall be filed within the time limit specified in sub-rule (4) of rule 20.

(3) Where the applicant does not comply with the requirements of sub-rule (1) or sub-rule (2), the Patent Office shall invite the applicant to file the priority document or the translation thereof, as the case may be, within three months from the date of such invitation, and if the applicant fails to do so, the claim of the applicant for the priority shall be disregarded for the purposes of the Act.”

3. In the said rules, in rule 131, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every financial year, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such financial year.”

4. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE, for Form 27, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM 27
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
AND
THE PATENTS RULES, 2003

No Fee

STATEMENT REGARDING THE WORKING OF PATENTED INVENTION(S) ON A COMMERCIAL SCALE IN INDIA

[See section 146(2) and rule 131(1)]

1. Insert name, address, nationality, patent number(s).	I/ We, the Patentee(s)/ Licensee, in respect of patent number(s), furnish this statement, (Explanation: One form may be filed in respect of multiple patents, provided all of them are related patents, wherein the approximate revenue / value accrued from a particular patented invention cannot be derived separately from the approximate revenue/value accrued from related patents, and all such patents are granted to the same patentee(s)).		
2. State the financial year to which the statement relates.	in respect of the financial year		
3. Worked / not worked. Please state whether each patent in respect of which this form is being filed is worked or not worked.	Patent Number(s)	Worked [Tick (✓) if applicable]	Not worked [Tick (✓) if applicable]
4. If worked.	(a) Approximate revenue / value accrued in India to the patentee(s)/ licensee furnishing the statement from patent number(s) where the working is through: (1) Manufacturing in India (in INR) (2) Importing into India (in INR)		
	(b) Brief in respect of (a) above (maximum 500 words)		
5. If not worked.	Reasons for not working the patented invention(s) and steps being taken for working of the invention(s).(maximum 500 words)		
	The facts and matters stated above are true to the best of my/ our knowledge, information and belief. Dated this day of 20.....		
6. To be signed by Patentee(s) / Licensee / Authorised Agent furnishing the statement.	Signature(s) To The Controller of Patents, The Patent Office, at		

Note: Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is granted to two or more persons, all such patentees may file this Form jointly; however, each licensee shall file this Form individually. ”.

[F. No. 24027/5/2020-IPR-III]

RAVINDER, Jt. Secy.

Note: The said rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O.493 (E) dated the 2nd May, 2003 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 663 (E) dated the 17th September, 2019.